पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

आवश्यक सूचना

राज्य की बहती नदियों में परम्परागत मछुआरों द्वारा निःशुल्क शिकारमाही की घोषणा के क्रम में प्रथम चरण में अधिसूचना संख्या 1906, दिनांक 30 सितम्बर, 1991 द्वारा निःशुल्क शिकारमाही वाले अंचलों को अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना में पटना, मुंगेर, साहेबगंज, छपरा, सिवान, बेगूसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज, दरभंगा, कटिहार, भोजपुर, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा जिलों के कुल 65 अंचलकर शामिल हैं। निःशुल्क शिकारमाही की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार है :—

1. पहली जून से 31 अगस्त तक, जो मछलियों के प्रजनन का समय है, में शिकारमाही पूर्णतः बंद रहेगा।

2. पालने वाली मछलियों की सभी नस्लों की अंगुलिकाओं के मारने एवं मारे हुए अंगुलिकाओं की बिक्री पर रोक रहेगी।

3. 4से०मी० से कम फांस वाले फंसा जाल (गील नेट) लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

4. मछली मारने के विनाशकारी तरीके –जैसे डायनामाईट या विस्फोटक पदार्थ, जहर या अन्य जहरीले पदार्थों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

5. मछलियाओं के आने-जाने के रास्तों पर बाड़ी या किसी प्रकार के घेरा डालने या अवरोध किए जाने की भी मनाही रहेगी।

पटना जिले की नदियों के किनारे बसने वाले परम्परागत मछुआरों के पहचान-पत्र के प्रथम किस्त का वितरण लागत शुल्क 15 रु० लेकर दिनांक 8 नवम्बर, 1991 के दो बजे अपराह्न कृषि फार्म मीठापुर स्थित बिहार राज्य मत्स्य बीज विकास निगम के प्रांगण में आयोजित समारोह में माननीय मुख्य मंत्री के कर- कमलों द्वारा किया जायगा। सभा की अध्यक्षता श्री विद्या सागर निषाद, मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य करेंगे तथा श्री भोला राम तूफानी, राज्य मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

अनुरोध है कि अधिक-से-अधिक संख्या में समारोह में भाग लेने का कष्ट करेंगे।

के०अहमुगम,
सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

डा० प्रेम शंकर प्रसाद,
निदेशक, मत्स्य विभाग,
बिहार, पटना।
पी०आर० 3826(पशु०-54) 91

नवभारत टाईम्स 5 नवम्बर, 1991, पटना पृष्ट—3